| दिनांक 19.11.2025 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 32 / 2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## यातायात निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पुलिस मुख्यालय में आयोजित सड़क दुर्घटना विवेचना पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन

- 17-19 नवम्बर 2025 को 20 ZFD जिलों के अधिकारियों हेतु सड़क दुर्घटना विवेचना पर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित।
- IRTE विशेषज्ञों ने यातायात इंजीनियरिंग, कानूनी प्रावधान, दुर्घटना जांच व फोरेंसिक साक्ष्य पर प्रशिक्षण दिया।
- डीजीपी उ0प्र0 ने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक, बहु-आयामी कार्ययोजना लागू है।
- डीजीपी के निर्देश पर 03 पायलट कॉरिडोरों पर चलायी गयी कार्ययोजना के परिणाम स्वरूप गम्भीर दुर्घटनाओं में 41-70 प्रतिशत कमी हासिल की गयी, जिससे मॉडल सफल सिद्ध हुआ।
- डीजीपी द्वारा ZFD जिलों को कम-से-कम 50 प्रतिशत दुर्घटना कमी का लक्ष्य सुनिश्चित करने के निर्देश।

**श्री योगी आदित्यनाथ जी, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0** द्वारा सड़क दुर्घनाओं में कमी लाने के दिये गये निर्देश के क्रम में **श्री राजीव कृष्णा,** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में यातायात निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार में इन्स्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजूकेशन/कालेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेन्ट एण्ड फारेन्सिक साइन्स, फरीदाबाद, हरियाणा के सहयोग से सड़क दुर्घटना विवेचना पर दिनांक 17.11.2025 से 19.11.2025 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रीक्ट (ZFD) के रूप में चिन्हित 20 सर्वाधिक जोखिम वाले जिलों के यातायात के नोडल अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी तथा यातायात से जुड़े कर्मी उपस्थित रहे।

कार्यशाला का समापन **श्री राजीव कृष्णा,** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 19.11.2025 को किया गया। समापन सत्र में डा0 रोहित बलूजा, अध्यक्ष, IRTE एवं डायरेक्टर CTM द्वारा अपने संबोधन के दौरान यातायात इंजीनियरिंग के सिद्धांतो और सड़क अवसंरचना के सम्बंध में एक प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आंकड़ों के माध्यम से दुर्घटना के कारणों एवं उसके निवारण के बारे में बताया गया।

**पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि-**

राज्य में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, दुर्घटना-दर में कमी लाने तथा प्रभावी यातायात प्रबंधन के उद्देश्य से प्रदेश पुलिस द्वारा बहु-आयामी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यापक कार्ययोजना लागू की गई है। यह कार्ययोजना मानव कारकों के साथ-साथ सड़क पर्यावरण, इंजीनियरिंग, वाहन-संबंधी कमियाँ तथा नीतिगत चुनौतियों को समग्र रूप से संबोधित करती है।

तीन माह पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश की तीन सर्वाधिक दुर्घटना-प्रभावित सड़कों का चयन कर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया- 1. अलीगढ़ - बुलंदशहर रोड 2. उन्नाव - कानपुर कॉरिडोर 3. कानपुर - हमीरपुर मार्ग।

इन कॉरिडोरों पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट लक्ष्य दिया गया कि उपलब्ध संसाधनों, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मैनपावर, प्रवर्तन और ट्रैफिक प्रशिक्षण का अधिकतम उपयोग करते हुए घातक दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाना है।

उक्त पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप दो से ढाई महीनों के भीतर इन कॉरिडोरों पर फेटल दुर्घटनाओं में 41 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई। यह सफल मॉडल सिद्ध हुआ कि बिना अतिरिक्त संसाधनों के भी, केंद्रित रणनीति और ज़िम्मेदारी निर्धारण द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में ठोस कमी लाना संभव है।

उक्त कॉरिडोर में प्राप्त result को समझते हुए 20 सर्वाधिक जोखिम वाले जिलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। यह दस्तावेज़ बैठकों, मैदानी फीडबैक, इंजीनियरिंग/प्रवर्तन विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया। इसमें प्रत्येक जिले के लिए कॉरिडोर-वार कार्ययोजना, संयुक्त जिम्मेदारी और परिणाम-आधारित मूल्यांकन प्रणाली निर्धारित की गई है।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना पूर्णतः संभव और टिकाऊ (durable) है। यह केवल प्रवर्तन का मुद्दा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन, आपातकालीन प्रतिक्रिया का संयुक्त परिणाम है। संसाधनों की सीमाओं के बावजूद, फोकस्ड इंटरवेंशन, जिम्मेदारी निर्धारण और तकनीकी दृष्टिकोण से फेटेलिटी रेट में भारी कमी लाई जा सकती है। जब तक यह विश्वास तंत्र में स्थापित नहीं होगा, तब तक कार्ययोजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वैज्ञानिक, तकनीकी और विभागीय-समन्वय आधारित दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। राज्य में दुर्घटना-दर कम करने हेतु यह पहला संरचित एवं परिणाम-आधारित प्रयास है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। आगामी समय में इस मॉडल को अन्य जिलों तथा प्रमुख हाइवे कॉरिडोरों पर भी विस्तारित किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने अपने संबोधन के समापन पर कार्यशाला में उपस्थित “जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रीक्ट“ ZFD के रूप में चिन्हित 20 सर्वाधिक जोखिम वाले जिलों के नोडल अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे कार्यशाला के उद्देश्यों को मूर्त रूप देते हुए आगामी अवधि में अपने-अपने जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के लक्ष्य को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि आप सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर जन-जीवन की रक्षा करते हैं, तो यह आपके लिए एक लाइफटाइम अचीवमेंट के समान होगा।

उक्त कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 17.11.2025 को **अपर पुलिस महानिदेशक यातायात श्री ए. सतीश गणेश** द्वारा किया गया। प्रारंभिक सत्र में **डा. रोहित बलूजा अध्यक्ष, IRTE एवं डायरेक्टर CTM** ने यातायात इंजीनियरिंग एवं सड़क अवसंरचना के कानूनी पहलुओं पर व्याख्यान दिया, जिसके बाद IRTE के श्री मोहित पाठक ने मोटर वाहन चालन विनियम-1 के कानूनी आधार पर प्रशिक्षण दिया। 18 नवम्बर को श्री एम.एस. उपाध्याय सेवानिवृत्त आईपीएस, संयुक्त पुलिस आयुक्त दिल्ली एवं लीड फेकल्टी IRTE ने दुर्घटना जांच, यातायात प्रबंधन व अन्य संबद्ध पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की, जबकि IRTE की सहायक प्राफेसर, फारेंसिक विज्ञान विभाग, श्रीमती श्रेया अरोड़ा ने फोरेंसिक सोच, दुर्घटना जांच प्रबंधन तथा साक्ष्य संग्रह/फोटोग्राफी पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

| दिनांक 19.11.2025 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 33 / 2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी, मीरजापुर एवं झाँसी परिक्षेत्र द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता कार्यशाला का किया गया शुभारम्भ

**श्री राजीव कृष्णा**, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 19.11.2025 को जनपद जौनपुर, भदोही एवं झाँसी में परिक्षेत्र स्तरीय तीन साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उक्त साइबर जागरूकता कार्यशाला में उपस्थित अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर एवं वाराणसी जोन, पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्यांचल एवं झाँसी परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, मण्डलायुक्त झाँसी, न्यायिक अधिकारी भदोही, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक झाँसी, जौनपुर एवं भदोही, मा0 जनप्रतिनिधि गण, विभिन्न स्कूलों के शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता गण बैंक कर्मी, रोटरी क्लब के सदस्य एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े जनपदों के पुलिस अधीक्षक, साइबर सेल तथा थानों के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों, मीडिया बंधुओं तथा कार्यशाला को ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बनाने हेतु अपना अमूल्य समय प्रदान करने वाले साइबर विशेषज्ञ श्री अमित दूबे, श्री संजय मिश्रा एवं श्री राहुल मिश्रा का आभार व्यक्त किया गया तथा इस कार्यशाला के माध्यम से साइबर सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जन-जागरूकता फैलाने के लिए आयोजकों तथा विशेषज्ञगण का धन्यवाद किया गया।

**पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी जीवनशैली में मूलभूत परिवर्तन आया है। डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अब प्रत्येक घर की आवश्यकता बन चुके हैं। भारत आज प्रति व्यक्ति डिजिटल वित्तीय लेन-देन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। कोविड काल के पश्चात ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लगभग 60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण है कि भारत में डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की सक्रियता में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है।

वर्तमान समय में अधिकांश लोग प्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है परन्तु इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ इसके दुरुपयोग की घटनाएँ भी अत्यधिक चिंताजनक रूप में सामने आ रही हैं, इसीलिए आवश्यकता है कि हम इंटरनेट को केवल सुविधा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें। आज यदि हम सजग

एवं सतर्क रहें और मर्यादा तथा नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट का उपयोग करें, तो यह दुनिया को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

**1. समाज पर साइबर अपराध का प्रभाव**

- वर्तमान परिदृश्य में समाज का शायद ही कोई वर्ग साइबर क्राइम से अप्रभावित रहा हो।
- हमारे स्कूली बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं।
- महिलाएं एवं बालिकाएं साइबर स्टॉकिंग तथा अन्य महिला-केंद्रित साइबर अपराधों की शिकार होती हैं।

**2. डिजिटल अरेस्ट- एक उभरता खतरा**

डिजिटल अरेस्ट एक उभरता हुआ साइबर अपराध है, जिससे सभ्रांत वर्ग के नागरिक एवं पेंशनर्स शिकार हुए हैं और जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं।

**3. आर्थिक अपराध के तीन प्रमुख कारण**

अधिकांश लोग तीन कारणों से साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं-

**A- लालच-** लगभग 70% साइबर वित्तीय अपराध लालच की वजह से होते हैं। अक्सर लोग पैसा जल्दी कमाने या दोगुना करने जैसी लालचपूर्ण योजनाओं में फँस जाते हैं।

**B- भय -** यह सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल अपराध है। साइबर अपराधी स्वयं को CBI, पुलिस, कस्टम अधिकारी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को मानसिक रूप से भयभीत करते हैं। वे पार्सल में ड्रग्स मिलने, गंभीर शिकायत दर्ज होने, या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर नागरिकों को भ्रमित करते हैं और इसी डर का फायदा उठाकर उनसे ठगी करते हैं। जबकि भारत में कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर पैसे जमा करने को नहीं कहती है।

**C- लापरवाही-** ओटीपी साझा करना, पर्सनल जानकारी देना, फर्जी लिंक पर क्लिक करना— ये पुरानी समस्याएँ हैं। लेकिन अभी का सबसे नया और खतरनाक तरीका है— .APK फाइल। अपराधी किसी शादी का निमंत्रण, विशेष सूचना या बैंक अलर्ट का मैसेज भेजकर .APK लिंक क्लिक करवाते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं— आपका फोन हैक हो जाता है। पासवर्ड, बैंक डिटेल, UPI डेटा— सब चोरी हो जाता है। किसी भी अनजान .APK फाइल को कभी मत खोलें।

**4. नागरिकों के लिए तीन जरूरी उपाय साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिकों को इन तीन उपायों पर ध्यान देना चाहिए:**

- **तत्काल 1930 डायल करें-** यह देश की सबसे मजबूत साइबर हेल्पलाइन है, जिसके पीछे 654 बैंक और NBFC जुड़े हैं। जिस क्षण आप कॉल करते हैं—आपकी ट्रांजैक्शन आईडी ली जाती है, जिस अकाउंट में पैसा गया है वह तुरंत फ्रीज़ हो जाता है ।
- **गोल्डन टाइम-फ्रेम के भीतर रिपोर्ट करें-** सबसे महत्वपूर्ण बात समय का है यदि 30 मिनट से अधिक देर हुई तो पैसा दूसरी–तीसरी लेयर में चला जाता है और रिकवरी कठिन हो जाती है।

- **सही तथ्यों को दर्ज करें-** साइबर अपराध होने की दशा में तत्काल, सही, और सटीक सूचना देना आवश्यक है। एक भी अंक गलत हुआ तो पैसा गलत खाते में फ्रीज़ हो सकता है।

**5. बच्चों और युवाओं में साइबर सजगता**

- बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में सतर्क करना आवश्यक है। बच्चो एवं युवाओं को यह समझना होगा कि साइबर गेमिंग में हमेशा गेम बनाने वाला जीतता है न कि खेलने वाला।
- आज के युग में सोशल मीडिया नशे की तरह युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है।
- इसके लिए हमें और अधिक सतर्क एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

**6. पुलिस अधिकारियों के लिए संदेश**

थाना प्रभारियों को यह अवधारणा त्यागनी होगी कि ''साइबर अपराध की जांच हम नहीं कर सकते।'' साइबर अपराध की जांच (Investigation) पूर्णतः SOP आधारित एवं व्यवस्थित (Straightforward) है। यदि कोई अधिकारी इसे खुले मन से सीखना चाहे तो इसके छह-सात चरणों को समझकर पाएगा कि यह सामान्य आपराधिक जांच से भी अधिक सरल और त्वरित है। साइबर अपराध का दायरा और दुष्प्रभाव प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस कर्मियों का आत्मविश्वास और कौशल जितना बढ़ेगा, उतना ही नागरिको का पुलिस पर विश्वास और भरोसा भी सुदृढ़ होगा।

**7. साइबर सुरक्षा में नागरिक सहभागिता**

साइबर क्राइम से बचाव हेतु मजबूत पासवर्ड एवं अपडेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें और सदैव सतर्क रहें।

- उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक-केंद्रित, त्वरित एवं पारदर्शी साइबर कानून प्रवर्तन के साथ-साथ राज्य को साइबर अपराध-मुक्त तथा देश को साइबर नियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
- यह लक्ष्य तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक सतर्क, सजग और सहयोगी बनकर इस मिशन में सहभागी बने।
- सुरक्षित डिजिटल उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब जनता और पुलिस साथ हों।

अंत में कहा कि साइबर क्राइम जितनी तेजी से बढ़ सकता है, उतनी ही तेजी से नियंत्रण में भी आ सकता है—शर्त है कि हम सब जागरूक हों।

जनपद झांसी

जनपद भदोही

जनपद जौनपुर

| दिनांक 18.11.2025 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 34 / 2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में "जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संचालित **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्णा** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 19.11.2025 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई** द्वारा श्री सिपतैन अली निवासी मो0दहलीज, हालपता रूसतम टोला कस्बा व थाना सहसवान जनपद बदायूं के वार्ड के विकास कार्य का ड्राफ्ट तैयार करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मानचित्रकार कक्ष कार्यालय, नगर पालिक परिषद सहसवान जनपद बदायूं से **ड्राफ्ट मैन (मानचित्रकार) अन्सार हुसैन** पुत्र स्व0 दिलशान हुसैन नगर पालिका परिषद सहसवान जनपद बदायूं, मूलपता मोहल्ला बजरिया कस्बा थाना सहसवान जनपद बदायूं को 08 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

| दिनांक 19.11.2025 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 35/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## एस0टी0एफ0–स्वंय को रॉ (RAW) अधिकारी एवं आर्मी का मेजर तथा कर्नल बताने वाला सुनीत कुमार कूटरचित दस्तावेजों सहित गिरफ्तार।

दिनॉक 18–11–2025 को एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को स्वंय को रॉ अधिकारी एवं आर्मी का मेजर तथा कर्नल बताने वाले सुनीत कुमार को कूटरचित दस्तावेजों सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1– सुनीत कुमार पुत्र स्व0 बृजनन्दन शाह निवासी बी–216 पैरामाउण्ट गोल्फ फोरेस्ट, तिलपता थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त से बरामदगी–

1– 05 पैन कार्ड की प्रतिलिपि (जिन पर अभियुक्त की विभिन्न नामों की फोटो लगी हैं)

2– 03 अदद वोटर आईडी कार्ड की प्रतिलिपि (जिन पर अभियुक्त की विभिन्न नामों की फोटो लगी हैं

3– 02 अदद फर्जी आई0डी0 (कैबिनेट सेक्रिटेरियल भारत सरकार, नेशनल सिक्योरिटी कॉउसिल)

4– 17 विभिन्न नामों के कूटरचित रेंन्ट एग्रीमेंन्ट ।

5– 20 अदद चैकबुक

6– 01 अदद फर्जी दिल्ली पुलिस का वेरिफिकेशन लेटर

7– 08 अदद क्रेडिट/डेबिट कार्ड

8– 01 अदद डायरी

9– 02 अदद आधार कार्ड की प्रतिलिपि

10– 02 अदद फार्म वोटर आईडी की प्रति

11– 01 अदद डायरी(मय 02 अदद कम्पनी सम्बन्धी रजिस्ट्रेशन कागजात, आईटीआर कागजात के)

12– 02 अदद बैक स्टेटमेन्ट की प्रति

13– 03 अदद लैपटाप

14– 02 अदद टैबलेट

गिरफ्तारी का दिनांक/स्थान व समय–

दिनांक 18–11–2025, एस0टी0एफ0 कार्यालय, फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर, समय लगभगः 20.30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में आर्मी एवं रॉ (RAW) का अधिकारी बनकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा गौतमबुद्धनगर एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी, एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम को दिनांक 18–11–2025 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति पैरामाउन्ट गोल्फ फोरेस्ट साईट सी के मकान नम्बर 216 ग्रेटर नोएडा में किराये पर रहता है, जो कभी अपने को आर्मी का अधिकारी तथा कभी रॉ अधिकारी बताता है जिसकी गतिविधियॉ संदिग्ध है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त मुखबिर द्वारा बताये गये उपरोक्त मकान नम्बर पर पहुॅचकर एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति सुनीत कुमार को विस्तृत पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 कार्यालय नोएडा लाया गया, जहॉ पर उससे एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा पूछताछ की गयी तथा सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति सुनीत कुमार, उपरोक्त को समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त सुनीत कुमार ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 37 साल है तथा उसने क्लीनिकल साइक्लोजी में कलिंगा यूनिवर्सिटी, रायपुर से वर्ष–2012 में पोस्ट ग्रेज्यूएट किया है। वह अलग–अलग व्यक्तियों को अपना अलग–अलग नाम व पद बताकर उनको अपने प्रभाव में लेकर कार्य कराने के लिए मजबूर कर देता है तथा अपना काम कराने के लिए रॉ का अधिकारी बनकर फोन करता है। अभियुक्त सुनीत कुमार विभिन्न सोसायटियों में अपने आपको आर्मी का मेजर एवं कर्नल तथा रॉ का अधिकारी बताकर अलग–अलग नामों के कूटरचित दस्तावेज बनाकर किराये पर मकान लेता है और इन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैंकों में खाते भी खुलवाता है। अभियुक्त सुनीत कुमार ने HAPPU MENTAL HEALTH SERVICE 2, FESTUM 24 TECHNOLOGIES PRIVATE LTD & LOKALLY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED कम्पनी बनाई है, जिनमें अभियुक्त सुनीत कुमार स्वंय तथा इसकी मौसी की बहन डायरेक्टर है। इन फर्जी खातों का मुख्य उद्देश्य HAPPU MENTAL HEALTH SERVICE कम्पनी के एकाउन्ट में ट्रांन्जेक्शन करना था, ताकि इस कम्पनी की वैल्यूवेशन बढाई जा सके। पूछताछ में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि विगत 10 माह में 03 करोड़ से अधिक का ट्रांन्जेक्शन HAPPU MENTAL HEALTH SERVICE कम्पनी में हुआ है। अभियुक्त सुनीत कुमार कर मुख्य उद्देश्य इस कम्पनी का वैल्यूवेशन बढाकर इस कम्पनी को पब्लिक कम्पनी के रूप में शेयर मार्केट में लिस्ट़ कराने का था, ताकि आई0पी0ओ0 के माध्यम से भारी धनराशि इन्वेस्टमेंन्ट के रूप में प्राप्त की जा सके। अमित कुमार के फर्जी नाम से आर0बी0एल0 बैंक के एकाउन्ट में 40

लाख तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के एकाउन्ट में 41 लाख रूपये फ्रीज कराया गया है। अभियुक्त सुनीत कुमार की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सूरजपुर कमिश्नरेट, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 668/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), बीएनएस तथा 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

## जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

**• पुलिस कार्यवाही में 10–10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

**• चोरी की 01 मोटर साइकिल**

**• 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 18/19.11.2025 की रात्रि थाना कोतवाली नगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वलीपुरा नहर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रहीमुद्दीन 2–सनाउल घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद बुलन्दशहर से वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रहीमुद्दीन निवासी बीसा कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2–सनाउल निवासी झोपडपट्टी नुमाइश मैदान थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।

**बरामदगी**

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 01 लाख 28 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू पुत्र गजाधर सिंह निवासी कोटला रोड़ ओझानगर नगला करन सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद, हालपता सुहागनगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 01 लाख 28 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्टसगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रॉबर्टसगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बृजेश कुमार उर्फ छोटू को कठोर आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना बीघापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना बीघापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/148 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त फूलसिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना रामपुर मथुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामपुर मथुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नीरज को आजीवन कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मंगल सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कमालगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 13 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कमालगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/302/201 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सचिन को आजीवन कारावास व 13 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गया।

———————